मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

अपील क्रमांक ए–424/रासूआ/1–5/06

श्री रामरज प्रसाद करसोलिया
अपीलकर्ता
ई–11/12, चार इमली,
भोपाल

विरूद्ध

श्री के0पी0 जाटव,
सचिव **लोक सूचना**
अधिकारी
मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम
भोपाल

आदेश

(दिनांक 16 अप्रैल 2007)

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 19 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संक्षेप में निगम) के लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय दिनांक 18 अप्रैल 2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है जिसके व्दारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदाय करने का उसका आवेदन खारिज कर दिया गया ।

2. अपीलार्थी का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 4 अप्रैल, 2006 को यह आवेदन दिया था कि दिनांक 23 मार्च, 2006 को निगम के संचालक मंडल की बैठक के एजेन्डा तथा कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां उसको प्रदाय की जाये । लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित समय के अन्दर लोक सूचना अधिकारी को प्रतिलिपियां प्रदान नहीं किये जाने के कारण व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील दिनांक 4 मई, 2006 को प्रस्तुत किया । प्रथम अपील का निपटारा भी निर्धारित समयावधि के अन्दर नही किया गया अतः अपीलार्थी ने दिनांक 20 जून 2006 को अधिनियम की धारा 19 (3) के अधीन यह फाइल

प्रस्तुत किया । निगम के प्रबंध निदेशक तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि चूंकि माननीय उच्च

न्यायालय में याचिका क्रमांक 9532/06 लंबित है इसलिये याचिका के निर्णय होने के बाद ही अपीलार्थी व्दारा चाही गई प्रतिलिपियां उसे उपलब्ध कराया जाना उचित होगा ।
सुनवाई की गई ।

3. माननीय उच्च न्यायालय में अपीलार्थी की कोई याचिका लंबित होने के आधार पर ही चाहे गये दस्तावेज की प्रतिलिपि देने से इन्कार करना या देने में विलंब करना विधि सम्मत नही है । यह उल्लेखनीय है कि चाही गई सूचना के प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण व्दारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध नही किया गया है और न ही उसके प्रकटन से न्यायालय की अवमान जैसी कोई स्थिति की बात कही गई है । स्पष्टतः अपीलार्थी अधिनियम की धारा 3 के अधीन चाहे गये दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकारी है ।

4. परिणामतः यह अपील मंजूर की जाती है तथा अपीलगत विनिश्चय अपास्त किया जाता है । निगम के लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 30 अप्रैल, 2007 तक अपीलार्थी को चाही गई प्रमाणित प्रतिलिपियॉ निःशुल्क प्रदान करे ।

5- आज उपस्थित लोक सूचना अधिकारी श्री के0पी0जाटव ने यह प्रकट किया कि सुसंगत समय में श्री महावीर प्रसाद अहिरवार लोक सूचना अधिकारी थे जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं । तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अहिरवार को अधिनियम की धारा 20 के अधीन 7 दिवस के अन्दर नोटिस जारी हो, कि वे नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर यह कारण बतायें कि क्यों न उन पर शास्ति अधिरोपित की जाये ।

(पद्म पाणि तिवारी)
मुख्य सूचना आयुक्त